

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना- कुचामन) राज.
पीठासीन अधिकारी :- बलबीर सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण :-

1. चूकली पत्नी श्योजीराम जाट
 2. धन्नाराम पुत्र श्योजीराम जाट
 3. बुधाराम पुत्र श्योजीराम जाट
 4. भंवरी पुत्री श्योजीराम जाट
 5. मोहनी पुत्री श्योजीराम जाट
 6. मन्जू पुत्री रूयोजीराम जाट
- निवासी पीलवा तह. परबतसर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. उगमाराम पुत्र रुघनाथ जाट
 2. कुनणाराम पुत्र अमराराम जाट
 3. कानाराम पुत्र मांगूराम जाट
 4. गुलाबा देवी पुत्री सोनाराम जाट
 5. गोदूड़ी पत्नी अमराराम जाट
 6. छीतर पुत्र मांगूराम जाट
 7. देवकरण पुत्र रामदीन जाट
 8. धन्नीदेवी पुत्री अमराराम जाट
 9. प्रताप पुत्र रुघनाथ जाट
 10. बीरमाराम पुत्र रुघनाथ जाट
 11. बोदूराम पुत्र मांगूराम जाट
 12. भीयाराम पुत्र अमराराम जाट
 13. मलाराम पुत्र मांगूराम जाट
 14. मूलाराम पुत्र किशनाराम जाट
 15. सांवताराम पुत्र रुघनाथ जाट
 16. सोनकी पत्नी सोनाराम जाट
 17. हड़मान पुत्र देवकरण जाट
- निवासी पीलवा तह. परबतसर
18. तहसीलदार, परबतसर

दावा बाबत :- बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित :- श्री अरूणकुमार माथूर अधिवक्ता वादीगण

मुकदमा नम्बर :- 2021 / 106

निर्णय दिनांक :- 29.01.2024

निर्णय



वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अरूणकुमार माथूर ने यह वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम पीलवा के खसरा नम्बर 617, 641, 643 कुल रकबा 1.06 हैक्टर व खसरा नम्बर 616, 618, 619 कुल रकबा 2.41 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 418, 421, 422, 431, 447, 614, 615 कुल रकबा 13.16 हैक्टर भूमि स्थित है। जिसके वादीगण व प्रतिवादी 1 से 17 संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं। जिसमें वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा करवा कर अलग होल्डिंग कायम करवाने के अधिकारी हैं। जिस पर प्रतिवादी 1 से 17 सभी ने उपस्थिता होकर सहमती जाहिर करते हुए बंटवारा किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी 18 का

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना - कुचामन)

सम्मन व्यक्तिग रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। वादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहे जाने पर साक्ष्य बन्द की जाकर वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर वादीगण का वाद दिनांक 04.07.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभय पक्षकारो को विधिवत रूप से सूचित किया जाकर पक्षकारन की उपस्थित में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार परबतसर को तहरीर जारी की गई।

2. तहसीलदार परबतसर ने अपने पत्राक: भू.अ./2022/3960 दिनांक 30.12.2022 के तहत बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रति वादीगण के अधिवक्ता को दी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने बंटवारा प्रस्ताव पढ़ कर समझ कर सही होना स्वीकार किया जाकर माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादीगण के वाद का अन्तिम निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया।

3. हमने वादीगण के विद्वान अभिभाषक की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि क सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार तहसीलदार परबतसर ने राजस्व मण्डल के अनुसार राजस्थान काश्तारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया है। जिसको वादीगण के अधिवक्ता ने सही होना स्वीकार किया है। जिससे वादीगण का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

यह है कि ग्राम पीलवा के खसरा नम्बर 617, 641, 643 कुल रकबा 1.06 हैक्टर व खसरा नम्बर 616, 618, 619 कुल रकबा 2.41 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 418, 421, 422, 431, 447, 614, 615 कुल रकबा 13.16 हैक्टर भूमि का तहसीलदार परबतसर के पत्रांक: भू.अ./2022/3960 दिनांक 30.12.2022 के संलग्न बंटवारा प्रस्ताव में वर्णित अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी घोषणा की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित किया जाता है। तदनुसार खातेदारी में दर्ज कर अलग अलग होल्डिंग कायम की जावे। प्रतिवादीगण 1 से 17 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जा काश्त व हक हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करे। नियमानुसार स्टाम्प ड्युटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(बलधीर सिंह)
परबतसर (तहसीलदार-न्यायालय)
परबतसर

डिक्री मुकदमां इब्तहाई (ओ. 20 रूल 6-7 दीवानी)
 अदालत:- उपखण्ड अधिकारी परबतसर, जिला (डीडवाना- कुचामन), राज.
 अज अदालत :- श्री बलबीर सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण :-

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. चूकली पत्नी श्योजीराम जाट
2. धन्नाराम पुत्र श्योजीराम जाट
3. बुधाराम पुत्र श्योजीराम जाट
4. भंवरी पुत्री श्योजीराम जाट
5. मोहनी पुत्री श्योजीराम जाट
6. मन्जू पुत्री रूयोजीराम जाट
निवासी पीलवा तह. परबतसर

1. उगमाराम पुत्र रूघनाथ जाट
2. कुणाराम पुत्र अमराराम जाट
3. कानाराम पुत्र मांगूराम जाट
4. गुलाबा देवी पुत्री सोनाराम जाट
5. गोदूड़ी पत्नी अमराराम जाट
6. छीतर पुत्र मांगूराम जाट
7. देवकरण पुत्र रामदीन जाट
8. धन्नीदेवी पुत्री अमराराम जाट
9. प्रताप पुत्र रूघनाथ जाट
10. बीरमाराम पुत्र रूघनाथ जाट
11. बोदूराम पुत्र मांगूराम जाट
12. भीयाराम पुत्र अमराराम जाट
13. मलाराम पुत्र मांगूराम जाट
14. मूलाराम पुत्र किशनाराम जाट
15. सांवताराम पुत्र रूघनाथ जाट
16. सोनकी पत्नी सोनाराम जाट
17. हड़मान पुत्र देवकरण जाट
निवासी पीलवा तह. परबतसर
18. तहसीलदार, परबतसर

दावा बाबत :- बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमां नम्बर :- 2021/108

निर्णय दिनांक :- 29.01.2024

यह मुकदमां आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू.....बहाजरी श्री धर्मेन्द्रसिंह वकील वादी व आनन्दीलाल कुमावत वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदई रुबरू.....मिनजानिब मुदालह पेश होकर दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती हैं कि :-

ग्राम पीलवा के खसरा नम्बर 617, 641, 643 कुल रकबा 1.06 हैक्टर व खसरा नम्बर 616, 618, 619 कुल रकबा 2.41 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 418, 421, 422, 431, 447, 614, 615 कुल रकबा 13.16 हैक्टर भूमि का तहसीलदार परबतसर के पत्रांक: भू.अ./2022/3960 दिनांक 30.12.2022 के संलग्न बंटवारा प्रस्ताव में वर्णित अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी घोषणा की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित किया जाता है। तदनुसार खातेदारी में दर्ज कर अलग अलग होल्डिंग कायम की जावे। प्रतिवादीगण 1 से 17 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जो काश्त व हक हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.01.2024 को जारी की गई।



दस्तखत:

ओहदा उपखण्ड अधिकारी
 परबतसर (डीडवाना- कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा			स्टम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गाहान		
खर्चा गाहान			फीस कमिष्नर		
फीस कमिष्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरीक		
मुतफरीक					
मीलान			मीजान		